# छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 383/2007</u>

श्री अशोक कुमार पाल,
16/1128, साँई नगर,
जेल रोड, रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... अपीलार्थी

**विरूद्ध**

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय तहसीलदार,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .......... प्रतिअपीलार्थी

## :: आदेश ::

( दिनांक 19 जून 2007 )

श्री अशोक कुमार पाल के द्वारा कलेक्टर, रायपुर को प्रस्तुत प्रथम अपील दिनांक 15–02–2007 में जानकारी दिये जाने के निर्देश के पश्चात् भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा जानकारी न देने पर आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की।

**2/** अपीलार्थी का यह आवेदन है कि उसके द्वारा पटवारी हल्का नंबर–113 राजस्व मंडल नंबर–102 तेलीबांधा रायपुर खसरा नंबर–437/53 भूमि पर कहाँ स्थित है, इसकी जानकारी चाही थी। निर्देशानुसार सीमांकन के लिये उसके द्वारा राशि जमा की गई। सीमांकन प्रकरण में अपीलार्थी को उक्त सर्वे नंबर की भूमि की जानकारी नहीं दी गई, जिसके संबंध में अपीलार्थी ने प्रथम अपील कलेक्टर, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत की। कलेक्टर ने जन सूचना अधिकारी तहसीलदार को निर्देश दिये कि वांछित जानकारी तैयार कर अपीलार्थी को विधिवत् प्रदान की जावे। इसके पश्चात् भी अपीलार्थी को जानकारी प्राप्त नहीं हुई।

**3/** आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी तहसीलदार, रायपुर को नोटिस जारी किया गया तथा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया एवं लिखित जवाब पर विचार किया गया। तहसीलदार ने अपने जवाब में बतलाया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत कलेक्टर के आदेश के अनुसार सीमांकन रिपोर्ट की प्रति आवेदक को प्रदाय की गई। अपीलार्थी यदि इस प्रतिवेदन से संतुष्ट नहीं है तो सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकता है। प्रतिअपीलार्थी का यह तर्क है कि उसकी भूमि क्रमांक 437/53 खसरा पंचशाला 2007 में अंकित है तथा उसकी भू–अधिकार पुस्तिका भी है। तहसीलदार का यह कथन है कि मौके पर आवेदक के द्वारा बतलाई गई भूमि क्रमांक–498/04 है, जो कि अवंति गृह निर्माण समिति की भूमि है।

**4/** प्रकरण से यह स्पष्ट है कि आवेदक ने सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत विधिवत् आवेदन देकर अपनी भूमि की स्थिति की जानकारी चाही। तहसीलदार का यह कथन की मौके पर यह भूमि नहीं है, उचित नहीं प्रतीत होता

क्योंकि खसरे में सर्वे नंबर 437/53 अपीलार्थी के नाम पर बतलाई गई है तथा प्रकरण में जो नक्शा प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी सर्वे नंबर 437 बतलाया गया है। नक्शे में बटे नंबर नहीं दिये गये हैं। जब नामांतरण एवं भू–अधिकार पुस्तिका में अपीलार्थी का नाम दर्ज हुआ, तब बटे नंबर के आदेश भी हुये होंगे तथा नियमानुसार नक्शे में भी जमीन की स्थिति राजस्व प्रक्रिया के अनुसार बतलाई जाना चाहिये थी। तहसीलदार का यह तर्क कि सर्वे नंबर 437/53 भूमि पर नहीं है, सही प्रतीत नहीं होता। अपीलार्थी केवल अपनी भूमि 437/53 कहाँ पर स्थित है, यही जानना चाहता है। यद्यपि भूमि की रजिस्ट्री कराते समय विक्रेता ने अपीलार्थी को मौके पर भूमि का आधिपत्य भी दिया होगा तथा आवेदक भी विक्रेता से जानकारी प्राप्त कर तहसीलदार को सहायता दे सकता है। किन्तु अंततः राजस्व विभाग के द्वारा ही भूमि पर वास्तविक स्थिति स्पष्ट की जाती है। अतः स्पष्ट है कि अपीलार्थी को आवेदन देने के पश्चात् तथा कलेक्टर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में दिये गये निर्देश के बाद भी जानकारी नहीं दी गई है। भूमि की वास्तविक स्थिति अपीलार्थी को बतलाई जाना आवश्यक है तथा अपीलार्थी ने विधिवत् सीमांकन कराने की भी कार्यवाही की है। अतः कलेक्टर, रायपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि इस प्रकरण को स्वयं देखें तथा भूमि की भौतिक स्थिति के संबंध में हो रहे भ्रम का निराकरण करे। आवश्यक हो तो पंजीयन विभाग की नस्ती तथा नामांतरण की नस्ती भी देखी जानी चाहिये। साथ ही एक माह के अन्दर अपीलार्थी के द्वारा भूमि की स्थिति के संबंध में चाही गई जानकारी उन्हें निःशुल्क प्रदान की जावे।

**5/** आवेदक को नियमानुसार आवेदन देने के पश्चात् भी भूमि की वास्तविक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जिससे कि उसे मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, अतः जन सूचना अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) रायपुर को सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(8)(ख) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में राजस्व विभाग की ओर से 250/–रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

**6/** उपरोक्त निर्देश के साथ अपील स्वीकार की जाती है।

( ए. के. विजयवर्गीय )
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त